

कार्यालय जिलापशुपालन पदाधिकारी, पटना

(बी०भी०सी०पटना - 14)

Phone No - 0612-2225306/2221037 Fax No - 0612-2225306 Email - ID - dahopat@gmail.com

निविदा-सूचना

जिला पदाधिकारी, पटना के निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पटना शहरी क्षेत्र के सड़को पर यत्र-तत्र घुमने/रहने वाली बेसहारा पशुओं को पकड़कर श्रीकृष्ण गौशाला, पटना सिटी में रखने की योजना के तहत गौशाला में रखे गये पशुओं को खिलाने एवं पशु क्रूरता के क्रम में जप्त कर रखे गये पशुओं को खिलाने हेतु पशुचारा यथा-गेहूं भूसा, गेहूं चोकर, नेवारी कुट्टी, कटा हुआ मौसमी हरा चारा, दाल चुन्नी, मकई दरा, Corn Silage (Laboratory Report के साथ) एवं Mix Concentrate के क्रय के लिए दर निर्धारण हेतु प्रकाशन की तिथि से 21वें दिन तक के अपराह्न 3 बजे तक में द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर आपूर्तिकर्ता को सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। अन्तिम तिथि तक प्राप्त निविदा को अगले कार्यदिवस के 11:00 बजे पूर्वाह्न में जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में जिला स्तरीय क्रय समिति एवं निविदादाता/उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। निविदा सूचना की विस्तृत शर्तें एवं विवरणी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट <http://ahd.bih.nic.in> पर एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना तथा निकटस्थ पशुपालन विभाग के स्थानीय कार्यालय के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है। विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना से प्राप्त की जा सकती है।

Wm
2.6.23

जिला पशुपालन पदाधिकारी
पटना।

निविदा की शर्तें

1. जिला पदाधिकारी पटना के निदेश के आलोक में विभागीय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पटना शहरी क्षेत्र के सड़को पर यत्र-तत्र घुमने/रहने वाली बेसहारा पशुओं को पकड़कर श्रीकृष्ण गौशाला पटना सिटी में रखने की योजना के तहत गौशाला में रखे गये पशुओं को खिलाने एवं पशु क्रूरता के क्रम में पकड़े गये पशुओं को खिलाने हेतु पशु चारा के दर/आपूर्तिकर्ता के निर्धारण के लिए प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ता से निम्नांकित सामग्रियों के लिए सीलबन्द निविदा आमंत्रित कि जाती है।

क - भूसा (गेहूँ का भूसा)

ख - कुट्टी (नेवारी)

ग - गेहूँ चोकर

घ - कटा हुआ मौसमी हरा चारा

ङ.- दाल चुन्नी


च- मकई दरा


छ- Corn Silage (अद्यतन Laboratory Report के साथ)

ज- Mix Concentrate

2. निविदा दाताओं से उपरोक्त वर्णित पशु चारा हेतु निविदा सील बंद लिफाफा मे आमंत्रित की जाती है। सीलबन्द निविदा लिफाफा मे तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा का अलग-अलग सील बन्द लिफाफा रहना अनिवार्य होगा। संबंधित लिफाफे के उपर "तकनीकी निविदा" एवं "वित्तीय निविदा" अंकित कर इन दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर स्पीड पोस्ट/रजीस्टर्ड पोस्ट/हाथो-हाथ निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन तक के 3 बजे अपराह्न तक जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। प्राप्त निविदा प्राप्ति के दूसरे कार्य दिवस को 11 बजे पूर्वाह्न में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष निविदादाता की उपस्थिति मे जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के कक्ष में खोला जाएगा। विधिवत रूप से प्राप्त सील बन्द निविदा पर ही विचार किया जायेगा।
3. तकनीकी निविदा में निविदादाता को विगत चार वर्षों का सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्थान को पशु आहार आपूर्ति करने संबंधी क्रयादेश एवं अन्य साक्ष्य की छायाप्रति, वर्ष 2018-19, 2019-2020, 2020-2021, 2021-22 का इन्कम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। तकनीकी निविदा के साथ यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है एवं फर्म का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र तथा मार्च 2023 का GST-3B की छायाप्रति या संबंधित अन्य साक्ष्य की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. तकनीकी निविदा में निविदादाता को 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) के अग्रधन की राशि (सुरक्षित जमा राशि) जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट (PAYBLE AT PATNA) जमा करना अनिवार्य होगा। असफल निविदादाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी उनके अनुरोध पर लौटा दी जाएगी, जबकि सफल निविदादाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी संतोषजनक सामग्री आपूर्ति तक रोक कर रखी जायेगी। अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद देय नहीं होगा। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सामग्री आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में सुरक्षित जमा राशि को जब्त करने के साथ ही भुगतान पर रोक लगायी जा सकती है। केन्द्रीय/राज्य क्रय संगठन/राष्ट्रीय लघु उद्योग में निबंधित आपूर्तिकर्ता को सुरक्षित जमा राशि में छूट प्राप्त करने हेतु निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को निविदा के साथ आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का सैम्पल पारदर्शी थैला में अपने नाम, पता एवं मोबाईल नं0 अंकित करते हुये देना अनिवार्य होगा।
6. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात/प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी समर्पित करना अनिवार्य होगा कि निविदादाता को इस निविदा में अंकित सभी शर्तें मान्य है।

7. तकनीकी निविदा प्रकाशन तिथि के 21 वें दिन के दूसरे कार्य दिवस को 11 बजे पूर्वाह्न में जिला पशुपालन पदाधिकारी पटना के कक्ष में जिला स्तर पर गठित तकनीकी निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें आपूर्तिकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि का भाग लेना आवश्यक होगा। विभागीय तकनीकी निविदा समिति द्वारा इस निविदा में अंकित शर्तों के अर्न्तगत तकनीकी रूप से सक्षम पाये जानेवाले निविदादाता के वित्तीय निविदा खोलने हेतु अनुशंसा की जायेगी।
8. वित्तीय निविदा में निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित पशु चारा की आपूर्ति श्रीकृष्ण गौशाला कटरा दिदारगंज पटना सिटी में करना होगा, जिसमें परिवहन व्यय सम्मिलित होगा। वित्तीय निविदा में अंकित उक्त दर के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि (परिवहन व्यय इत्यादि) देय नहीं होगा। निविदा में उक्त वर्णित पशु चारा के पैकिंग की विवरणी भी अंकित करना अनिवार्य होगा। सामग्री की आपूर्ति संबंधित गौशाला में प्रतिनियुक्त विभागीय पर्यवेक्षक को करनी होगी।
9. तकनीकी रूप से स्वीकृत निविदादाताओं का वित्तीय निविदा जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा समीक्षोपरान्त प्रत्येक सामग्री का दर निर्धारित करने की कार्यवाही की जायेगी। इसमें जिला स्तरीय क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा। इसके उपरान्त स्वीकृत निविदादाता को 3 दिनों के भीतर सभी विहित शर्तों के अर्न्तगत जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के साथ एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा के उपरान्त संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी से प्राप्त अधियाचना (INDENT) के आधार पर विहित शर्तों के अर्न्तगत 24 (चौबीस) घंटा के अन्दर आपूर्ति करनी होगी। निर्गत आपूर्ति आदेश के अनुपालन में पशु चारा ससमय जिला पशुपालन पदाधिकारी पटना द्वारा दिये गये निर्देशित स्थान पर आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित आपूर्तिकर्ता की होगी। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब होने पर दण्ड राशि (PENALTY) की वसूली करने के साथ-साथ काली सूची में दर्ज करने/वैधानिक कार्यवाही करने का जिला पशुपालन पदाधिकारी पटना को अधिकार सुरक्षित रहेगा। आपूर्ति किये गये सामग्रियों के विरुद्ध अनुमान्य राशि का भुगतान संगत मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के द्वारा किया जायेगा।
10. जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मान्य होगा।
11. जिला स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा पर जिला स्तरीय क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा विशेष परिस्थिति में स्वीकृत दर पर एक से अधिक आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश दिया जा सकता है, साथ ही यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा ससमय चारा आपूर्ति करने में अनियमिता दिखाई जाती है, तो वैसी परिस्थिति में निर्धारित दर पर पशुओं की खुराक को ध्यान में रखते हुए चिन्हित किये गये आपूर्तिकर्ता से ईत्तर किसी भी चारा आपूर्तिकर्ता से पशु चारा की आपूर्ति ली जा सकेगी।
12. किसी भी प्रकार का वैधानिक मामला का निपटारा पटना स्थित न्यायालय के अर्न्तगत होगा।
13. आपूर्तिकर्ता को उनके द्वारा आपूर्ति की गई पशु चारा गेहूं भूसा, गेहूं चोकर, नेवारी कुट्टी, कटा हुआ मौसमी हरा चारा, दाल चुन्नी, मकई दरा, Corn Silage (Laboratory Report के साथ) एवं Mix Concentrate का गुणवत्ता प्रमाण पत्र संबंधित गौशाला में प्रतिनियुक्त विभागीय पर्यवेक्षक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
14. किसी भी परिस्थिति में सभी तरह के पशु आहार का दर स्थानीय बाजार से अधिक नहीं होना चाहिए, तत्सम्बन्धी शपथ पत्र आपूर्तिकर्ता को देना अनिवार्य होगा।
15. वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति के पश्चात अगले निविदा सम्पन्न होने तक चिन्हित आपूर्तिकर्ता द्वारा चारा की आपूर्ति करते रहना होगा।


2/6/23


2.6.23

जिला पशुपालन पदाधिकारी
पटना।